

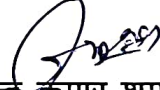
कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म0प्र0)

// निविदा विज्ञप्ति //

जिला न्यायालय परिसर, कटनी में कैंटीन संचालन के लिये वार्षिक अनुबंध आधार पर निविदा सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है।

निविदा फार्म मय शर्तों के इस कार्यालय से 200/- रुपये जमाकर जिला नाजिर कटनी से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा फार्म दि. 06.10.25 को सायं 05.00 बजे तक प्राप्त एवं जमा किये जावेगी तथा निविदा दिनांक 07.10.25 को सायं 05.00 बजे खोली जावेगी, जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं।

निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी/शर्तें माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं म.प्र. शासन की वेबसाईट www.tender.gov.in तथा जिला न्यायालय कटनी के सूचना पटल एवं वेबसाईट <https://katni.dcourts.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है।


(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कटनी (म0प्र0)

कैटीन संचालन हेतु निविदा फार्म एवं शर्तें

कार्यालय की सील
रसीद नंबर

—:: निविदा फार्म ::—

प्रथम पक्ष :-

निविदाकर्ता का नाम

पता

मोबा. नं.

किस स्थान पर कैटीन का

संचालन करना चाहते हैं।

कटनी

द्वितीय पक्ष :- जिला रजिस्ट्रार,
कार्यालय—जिला एवं सत्र न्यायालय, कटनी म0प्र0

जिला न्यायालय परिसर, कटनी स्थित कैटीन के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-

॥ निर्धारित शर्तें ॥

1. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदाएं दिनांक **06.10.2025** के सायंकाल 05.00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. अनुज्ञा शुल्क कटनी स्थित कैटीन हेतु रुपये 8,000/- प्रतिमाह की दर से निर्धारित होगा, जो प्रथम पक्ष अनुबंध निष्पादन के पूर्व वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु $8,000 \times 12 = 96,000/-$ रुपये में से 48,000/- रुपये की राशि 50 प्रतिशत अग्रिम के रूप में द्वितीय पक्ष को अदा करेंगे और 48,000/- रुपये की राशि अनुबंध प्रारंभ होने के तीन माह उपरान्त अदा करें।
3. निविदाकर्ता एवं द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध एक वर्ष के लिये सम्पादित किया जायेगा। अनुबंध अनुसार कैटीन संचालन की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर संचालन की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। इस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा अधिकतम बोली की राशि जो निर्धारित की गई है, उस राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर 10 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से द्वितीय पक्ष को अदा करनी होगी एवं अनुज्ञा शुल्क की राशि उपरोक्तानुसार तहसील कटनी स्थित कैटीन हेतु एक मुश्त जमा करनी होगी। कैटीन संचालन हेतु अतिरिक्त रूप से एक वर्ष की वृद्धि चाहने पर निविदाकर्ता को अनुबंध समाप्त होने के दिनांक से एक माह पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।
4. कैटीन संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि प्रथम पक्ष द्वारा कैटीन का संचालन बन्द किया जाता है तो निविदाकर्ता को उसके द्वारा जमा की गई कोई राशि लौटायी नहीं जावेगी।

5. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ रुपये 50,000 /- (पचास हजार रुपये) की अमानत राशि जिला न्यायाधीश, कटनी को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जायेगा, किन्तु सफल निविदाकर्ता की उक्त राशि निविदाकर्ता और जिला न्यायाधीश कटनी के संयुक्त नाम की बैंक एफडी0 के रूप में अमानत राशि के रूप में रखी जायेगी, जो निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन किये जाने पर समिति द्वारा सम्पूत की जा सकेगी।
6. सफल निविदाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एफ.डी.आर. अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर प्रथम पक्ष को वापिस की जायेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, परन्तु सावधि पर अर्जित बैंक ब्याज प्रथम पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
7. केन्टीन के संचालन हेतु आमंत्रित 12 माह की निविदा समयावधि हेतु न्यूनतम राशि 3,00,000 /-रुपये (अंकन -तीन लाख रुपये) से कम की राशि मान्य नहीं होगी।
8. प्रथम पक्ष द्वारा केंटीन संचालन हेतु प्रथम एक वर्ष के लिये राशि रुपये..... अक्षरी की **अधिकतम बोली** प्रस्तावित की जाती है।
9. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उसे निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व बोली की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक छः माह पूर्ण होने के 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।
10. अधिकतम बोली की प्रस्तावित की गई राशि अनंतिम होने की स्थिति में केंटीन संचालन के पूर्व वार्षिक अग्रिम के रूप में अदा करना होगी, अन्यथा निविदा शर्तों का उल्लंघन होने से अनुबंध निरस्त किया जाकर प्रथम पक्ष को केंटीन संचालन हेतु रोक दिया जावेगा।
11. अनुबंध की शर्तों का प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के केंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन हित में राजसात की जा सकेगी। जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
12. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के आदेशानुसार या अन्यथा प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा जिसका निविदाकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।
13. केंटीन के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार विवाद होने पर, विवाद का निराकरण प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा। जिसका निर्णय/अवार्ड अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
14. निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय संपत्ति को क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।
15. निविदाकर्ता केंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधिविरुद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा एवं विधि द्वारा प्रतिषेधित उत्पाद केन्टीन में विक्रय नहीं करें और न ही किसी अन्य को केंटीन परिसर में उसके उपयोग की अनुमति देगा, अन्यथा निविदाकर्ता के विरुद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

16. प्रथम पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु कैंटीन परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कैंटीन परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर कैंटीन का अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
17. समय-समय पर द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कैंटीन का निरीक्षण किया जा सकेगा।
18. निविदाकर्ता कैंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में एवं समय-समय पर द्वितीय पक्ष के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार करेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसरों पर कैंटीन का आवश्यक रूप से संचालन किया जायेगा।
19. निविदाकर्ता कैंटीन के संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण/ संरचना नहीं किया जायेगा। निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन संचालन में ऐसा अस्थायी निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय संपत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो। किन्ही कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थाई निर्माण को हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटायेगा।
20. निविदाकर्ता कैंटीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा तथा व्यवसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग कर अन्य सुसंगत विधि जैसे श्रमविधि आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।
21. निविदाकर्ता कैंटीन का पृथक से विद्युत संयोजन प्राप्त कर निर्धारित अवधि में विद्युत देयक का भुगतान करेगा।
22. निविदाकर्ता कैंटीन का विधि अनुसार नगर पालिक निगम में दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के "करों" का भुगतान करेगा।
23. क्रमांक 15, 16 एवं 17 से संबंधित उल्लंघन के संबंध में या अन्यथा किसी भी आपराधिक कृत्य हेतु उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का ही रहेगा। द्वितीय पक्ष उसके लिये किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।
24. निविदाकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दरें द्वितीय पक्ष से अनुमोदित करवाई जावेगी तथा अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी। निविदाकर्ता न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण को (ब्रांडेड प्रोडक्ट को छोड़कर) अनुमोदित दरों से 20 (बीस) प्रतिशत कम मूल्य पर खाद्य सामग्री विक्रय करेगा।
25. विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैंटीन परिसर के सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा।
26. निविदाकर्ता कैंटीन तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रतिदिवस एक सौ रुपये की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
27. निविदाकर्ता अनावश्यक रूप से कैंटीन बंद नहीं रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा रुपये 500/- प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
28. कैंटीन के संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

29. भवन के नक्शे में उल्लेखित 'अ' स्थान का भाग कैंटीन संचालन हेतु दिया जावेगा। निविदाकर्ता निविदा फार्म जमा करने से पूर्व कैंटीन के स्थान का अवलोकन आवश्यक से कर लेवें।
30. कैंटीन प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित समय सामान्यतः प्रातः 8.00 बजे से सायंकाल 06.30 बजे तक ही चलायी जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।
31. अनुबंध अवधि में विद्युत तथा जल संयोजन हेतु अनुमति पक्ष क्रमांक-2 द्वारा नियमानुसार दी जा सकेगी जिसका व्यय निविदाकर्ता को ही वहन करना होगा।
32. सफल निविदाकर्ता द्वारा 'कैंटीन परिसर' स्वयं के व्यय पर रंगरोगन, मरम्मत, फर्नीशिंग आदि कार्य समय-समय पर किया जावेगा।
33. निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो) प्रस्तुत किये जायेंगे। उक्त अनुभव आदि को समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुये प्राथमिकता दी जा सकेगी।
34. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जायेगा।
35. समिति द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंघन करने/विवाद करने वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियों, पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा/उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा/निविदा निरस्त की जा सकेगी।
36. कार्यालय जिला न्यायालय, कटनी द्वितीय पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा की घोषित की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित/परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।
37. सफल निविदाकर्ता प्रत्येक छः माह में कैंटीन ऐरिया में रंग-रोगन करेंगे।

निविदाएं दिनांक **07.10.2024** को सायंकाल 5:00 बजे कमेटी द्वारा खोली जावेगी। जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं।

मुझे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।

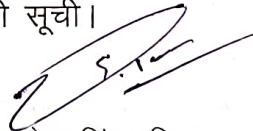
हस्ताक्षर
निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)

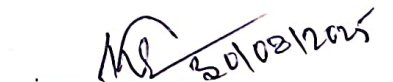
हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)

संलग्न- 1- कैंटीन संचालन हेतु दर की सूची।

2- कैंटीन नक्शा।

(प्रभूति अब्दुल पटेल)
श्रीमती स्मृति पटेल,


नृपेन्द्र सिंह परिहार,


संजय कुमार गुप्ता

अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड

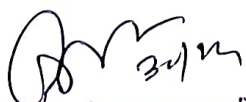
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड

द्वितीय जिला न्यायाधीश

सदस्य, कैंटीन समिति जिला न्यायालय
कटनी

सदस्य, कैंटीन समिति जिला न्यायालय
कटनी

अध्यक्ष, कैंटीन समिति जिला न्यायालय
कटनी


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी (मोप्रो)

/// केन्टीन संचालन हेतु दर ///

क.	सामग्री का नाम	सामग्री की संख्या/मात्रा	मूल्य/दर
1	चाय	प्रति कप 50 मि.ली.	7/-
2	काफी	प्रति कप 50 मि.ली.	10/-
3	आलूबडा	प्रति नग 50 ग्राम	8/-
4	समोसा एवं भाजीबडा	प्रति नग 50 ग्राम	8/-
5	कचोरी	प्रति नग 50 ग्राम	8/-
6	इटली, सांभर, दहीबडा, 2 पीस/प्लेट	प्रति नग 60 ग्राम	30/-
7	पोहा	प्रति प्लेट 80 ग्राम	10/-
8	भजिया, मंगौड़ी	प्रति प्लेट 80 ग्राम	15/-
9	जलेबी	प्रति प्लेट 100 ग्राम	15/-
10	बालूसाही, गुलाब जामुन	प्रति नग	12/-
11	दोपहर का भोजन एक सब्जी, दाल, चावल, 5 रोटी	प्रति थाली कुल वजन 400 ग्राम	80/-
12	सब्जी एक, 6 पूड़ी	प्रति पैकेट 200 ग्राम	40/-
13	लस्सी	प्रति गिलास 200 मि.ली.	20/-
14	सलोनी	80 ग्राम	10/-
15	छाछ	प्रति गिलास 200 मि.ली.	(एमआरपी)
16	पानी बाटल	एक लीटर	(एमआरपी)
17	कोल्ड ड्रिंक/साफ्ट ड्रिंक	प्रति नग	(एमआरपी)

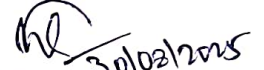
(प्रबुद्धि धरका १८५२)

श्रीमती स्मृति पटेल,

अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
सदस्य, केन्टीन समिति जिला न्यायालय
कटनी

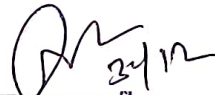

ज्योती सिंह परिहार,

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
सदस्य, केन्टीन समिति जिला न्यायालय
कटनी


संजय कुमार गुप्ता

द्वितीय जिला न्यायाधीश

अध्यक्ष, केन्टीन समिति जिला न्यायालय
कटनी


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी (म०प्र०)